



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ईमेल : mpbse@mp.nic.in., वेबसाईट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय:- (0755) 2551166-71

क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-1/२५७७/2023,

भोपाल, दिनांक ०५/१०/२०२३


--: अंशकालीन हेतु विज्ञापन :-

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के अधिनस्थ रविशंकर नगर स्थित चिकित्सालय निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	पदनाम	कुल पद की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
1	स्त्री रोग विशेषज्ञ	01	भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. की उपाधि एवं मध्यप्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीयन एवं एम.एस./एम.डी.
2	शिशु रोग विशेषज्ञ	01	भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. की उपाधि एवं मध्यप्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीयन एवं एम.डी.
3	चिकित्सक	01	भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. की उपाधि एवं मध्यप्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीयन एवं एम.डी.
4	मेल नर्स	01	1.नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र से बी.एस.सी. नर्सिंग अथवा जी.एन.एम. प्रशिक्षण उत्तीर्ण एवं मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। 2.हायर सेकेण्डरी परीक्षा में फिजिक्स, केमेस्टी, एवं बायोलॉजी से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

शर्त :-

1. चिकित्सालय को प्रतिदिन निम्नानुसार 3 बैचस में खोले जायेंगे।
2. समय सुबह 8.00 से 10.00 तक, दोपहर 10.00 से 12.00 तक, शाम 6.00 से 8.00 तक रहेगा।
3. प्रत्येक चिकित्सक प्रतिदिन दो घण्टे सेवार्यें देंगे।
4. मेल नर्स प्रतिदिन 8 घण्टे (डॉक्टर के साथ) अपनी सेवार्यें देंगे।
5. चिकित्सकों को मानदेय प्रतिदिन एक विजिट का 1000/- रूपये एवं मेल नर्स का मानदेय एक दिवस (8 घण्टे) 600/- रूपये देय होगा।
6. साथ ही चिकित्सालय को प्रतिमाह 2000/- रूपये Imprest money दिया जायेगा। जिसमें प्रतिदिन के खर्च की पूर्ति की जा सके।
7. इच्छुक आवेदक दिनांक 26.10.2023 कार्यालयीन समय सायं 06:00 बजे तक e-mail-mpbse@mp.nic.in डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से सीधे कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों/अनुभव प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जाना अनिवार्य है।
9. कार्य व्यवहार संतोषप्रद न पाये जाने पर एवं मण्डल की सेवाओं में आवश्यकता न होने पर कभी भी सेवार्यें नहीं ली जावेगी।
10. आवेदन के संबंध में अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।


उप सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्य प्रदेश, भोपाल